सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –31.08.2024

गैंगेस्टर गुलजार पुत्र मोहम्मद उमर निवासी हाल पता मकान नं0-03 तृतीय फ्लोर ब्रिजपुरी थाना जगतपुरी नई दिल्ली व जनकराम शर्मा से सम्बन्धित मु0अ0सं0- 210/23 धारा 471/468/467/420 व धारा 2/3 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना एट जनपद जालौन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये उक्त अपराधी द्वारा गायो की हत्या कर गौ-मांस का कूटरचित व फर्जी तरीके से परिवहन करते हुये समाजविरोधी क्रियाकलापो से अर्जित की गयी अनुमानित कीमत कुल 01 करोड़ 15 लाख चल अवैध सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 21.12.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना एट पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान एट टोल प्लाजा के पास एक ट्रक कंटेनर में 21,000 किलो संदिग्ध मांस बरामद हुआ था तथा प्रपत्रों की जांच में फर्जी कूट रचित दस्तावेज एवं अवैध तरीके से परिवहन कर ले जाया जाना पाया गया था। पूछताछ के दौरान ड्राईवर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों में उक्त कंटेनर में फिश फूड लदा होना अंकित था उक्त प्रकरण की गहराई से छानबीन की गयी थी ड्राईवर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रपत्र कूट रचित एवं फर्जी पाए गए। अतः उक्त वाहन को कब्जा पुलिस में लेते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/23 धारा 420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर संदिग्ध मांस को पशु चिकित्साधिकारी द्वारा सैंपलिंग कराकर परीक्षण हेतु भेजा गया था। परीक्षण रिपोर्ट में गोमांश की पुष्टि हुयी थी। मान0 न्यायालय से गौमांश के निस्तारण की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार जमीन में दफन करा दिया गया था।

विवेचना से प्रकाश मे आये मुख्य अभियुक्त **गुलजार पुत्र मोहम्मद उमर निवासी हाल पता मकान नं0-03 तृतीय फ्लोर ब्रिजपुरी थाना जगतपुरी नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जनपद बिजनौर व उसके अन्य 05 साथियो के** विरूद्ध अन्तर्गत धारा 2/3 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त गुलजार गैंगलीडर है, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोंच द्वारा की जा रही है। गैंगेस्टर गुलजार पुत्र मोहम्मद उमर निवासी हाल पता मकान नं0-03 तृतीय फ्लोर ब्रिजपुरी थाना जगतपुरी नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जनपद बिजनौर एवं जनकराम शर्मा के विरूद्ध संपत्ति जब्तीकरण की धारा 14(1) की कार्यवाही हेतु श्रीमान जनपद मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा कार्यवाही हेतु आदेश जारी किया गया था। अभियुक्त द्वारा स्वंय एवं अपने परिजनों के नाम विभिन्न बैंक खातों मे अवैध रूप से अर्जित की गयी धनराशि 1,09,25928 /-रूपये को जमा किया गया था। जिनके बैंक खातों को फ्रीज कराते हुये जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है तथा एक अदद कंटेनर संख्या DL-01GC-4302 को जब्त किया गया है।

जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण-

1- 1,09,25928 /-रूपये विभिन्न बैंक एकाउन्ट से फ्रीज/जब्त कराये गये।

2- एक अदद कन्टेनर अनुमानित कीमत 05-6 लाख रूपये ।

विवरण अभियुक्तगण-

1-गुलजार पुत्र मोहम्मद उमर निवासी हाल पता मकान नं0-03 तृतीय फ्लोर ब्रिजपुरी थाना जगतपुरी नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जनपद बिजनौर

2-जनकराम शर्मा पुत्र स्व0 देवदत्त शर्मा निवासी एम ब्लाक धर्मपुरा थाना नजफगढ न्यू दिल्ली।